न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 101/2018

1 मोहनलाल पुत्र रामूराम।
2 हेमाराम पुत्र रामूराम।
3 छोटूराम पुत्र रामूराम समस्त जाति जाट निवासीगण फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 झाबरमल पुत्र मानाराम।
2 भगवाना दत्तक पुत्र बोदू।
3 राामदेवाराम पुत्र रामूराम।
4 बजरंगलाल पुत्र रामूराम।
5 बरजी पुत्री रामूराम।
6 महेश पुत्र दौलाराम।
7 बबली पुत्री दौलाराम।
8 सुशीला पुत्री दौलाराम।
9 शान्ति पुत्री दौलाराम।
10 गिरधारी पुत्र हीराराम।
11 रामेश्वर पुत्र मानाराम।
12 गीता पत्नी भागीरथमल।
13 रूकमा देवी पत्नी बोदूराम।
14 राजेन्द्र दत्तक पुत्र हुक्माराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
15 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व
प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 29.06.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर कैम्प
कंवरपुरा पीठासीन अधिकारी सुश्री भावना गर्ग आरएएस
दावा संख्या 301/2014 बउनवानी झाबर बनाम भगवाना
दावा बाबत उद्घोषणा बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 301/2014 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 15,16,126,126,128, 136,146,249,261/299 कुल किता 9 कुल रकबा 9.50 हैक्टेयर के सम्बंध में वादी ने स्वंय एवं प्रतिवादी संख्या 13 व 14 को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का मुख्य अनुतोष के साथ स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का वाद दिनांक 20.03.2014 को प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बिना विधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकिया की पालना किये विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादपत्र में दिनांक 20.03.2014 को कार्यालय रिपोर्ट होकर प्रतिवादीगण को तलब किया व तारिख पेशी दिनांक 30.04.2014 नियत की। उक्त दिनांक 30.04.2014 से लेकर प्रतिवादी संख्या 1 व 15 को छोड़कर शेष सभी प्रतिवादीगण की तलबी में दिनांक 27.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 एवं 16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं शेष प्रतिवादी संख्या 12,13,14 व 17 की तलबी एवं शेष के जवाब में पत्रावली को दिनांक 08.06.2018 के लिए नियत किया। तत्पश्चात दिनांक 08.06.2018 की तारीख पेशी पर पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 06.09.2018 के लिए नियत की गई परन्तु किसी भी पक्षकार के आवेदन के बिना व जानकारी के बिना ही विचारण न्यायालय ने वादपत्र की पत्रावली को कैम्प कंवरपुरा में रखकर दिनांक 29.06.2018 को ही साईक्लोस्टाईल परफोरमा में खसरा नम्बरान अंकित करके प्राथमिक डिक्री क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र को निर्णित करने की विधिक प्रकिया का अनुसरण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अत अपील स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र में दिनांक 20.03.2014 को कार्यालय रिपोर्ट होकर प्रतिवादीगण को तलब किया व तारिख पेशी दिनांक 30.04.2014 नियत की। उक्त दिनांक 30.04.2014 से लेकर प्रतिवादी संख्या 1 व 15 को छोड़कर शेष सभी प्रतिवादीगण की तलबी में दिनांक 27.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 एवं 16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं शेष प्रतिवादी संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12,13,14 व 17 की तलबी एवं शेष के जवाब में पत्रावली को दिनांक 08.06.2018 के लिए नियत किया। तत्पश्चात दिनांक 08.06.2018 की तारीख पेशी पर पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 06.09.2018 के लिए नियत की गई परन्तु किसी भी पक्षकार के आवेदन के बिना व जानकारी के बिना ही विचारण न्यायालय ने वादपत्र की पत्रावली को कैम्प कंवरपुरा में रखकर दिनांक 29.06.2018 को ही साईक्लोस्टाईल परफोरमा में खसरा नम्बरान अंकित करके प्राथमिक डिक्री क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र को निर्णित करने की विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीरसिंह चौधरी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर